आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा।

आपूर्त्ति अपीलवाद संख्या–163 / 2022

मुकेश कुमार साह, पिता–रामनरेश साह।

बनाम्

सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–परमानंद प्रसाद।

आदेश

	उपस्थिति, वादी के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री सदन शरण एवं श्री प्रदीप कुमार। विपक्षी की ओर से :– श्री मणिन्द्र कुमार ठाकुर एवं श्री निरसु नारायण सिंह। सरकार की तरफ से :– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, सारण, छपरा।	
आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
27.09.2024 06.11.2024	**प्रस्तुत आपूर्त्ति वाद, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-15499/2021 में दिनांक–22.09.2022 को पारित आदेश के** अनुपालन में स्तर पर लाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित हैः– "*Without expressing any opinion over the contentions raised on behalf of the petitioner and in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Section 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause 36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of fifteen days, who shall look into the matter and after hearing all the stakeholders, including private respondent No. 10, shall pass a final order within a period of sixty days, giving reasons in support of the decision taken by him.*" **प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि** अनुमंडल कार्यालय, हथुआ, प्रखण्ड–भोरे, पंचायत–हुस्सेपुर, रोस्टर बिन्दु–520, आरक्षण कोटि–अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन का	

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रकाशन किया गया, जिसमें वादी, मुकेश कुमार साह, विपक्षी–सुरेन्द्र प्रसाद सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार अंतिम वरीयता सूची में विपक्षी–सुरेन्द्र प्रसाद, क्र० स०–01 पर तथा वादी श्री मुकेश कुमार साह, क्र० स०–02 पर रहे हैं। अंतिम वरीयता सूची के क्र०सं०–01 पर रहने तथा अन्य अर्हता को पूर्ण करने के कारण विपक्षी श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–श्री परमानन्द प्रसाद का चयन प्रश्नगत् रोस्टर बिन्दु पर नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी मुकेश कुमार साह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष CWJC No.-15499/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–22.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत् केन्द्र हेतु प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–05 के अनुसार आवेदन–पत्र दिनांक–07.12.2018 से दिनांक–24.12.2018 तक केवल निबंधित डाक द्वारा भेजे जाने तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किए जाने का उल्लेख है, जबकि विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद दिनांक–04.12.2018 से दिनांक–16.01.2021 तक लगातार विदेश (दोहा कतर) में थे एवं विज्ञापन की तिथि, फार्म भरने के समय कागजात के सत्यापन के समय, काउंसलिंग के समय, औपबंधिक वरीयता सूची के प्रकाशन के समय तथा चयन के समय कभी भी भारत में उपस्थित नहीं रहे है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर CWJC No.15499/2021 में सरकार के तरफ से दायर प्रति–शपथ पत्र में उल्लेखित है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के न्यायालय में आपूर्त्ति अपील सं०–35/2021 की सुनवाई के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि विपक्षी श्री सुरेन्द्र प्रसाद का पासपोर्ट नं0–L1318707 दिनांक–21.03.2013 है। पासपोर्ट से यह पता चलता है कि विपक्षी

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक–11.12.2016 को विदेश (दोहा कतर) गए तथा दिनांक–21.07.2018 को भारत आये एवं पुनः दिनांक–04.12.2018 को दोहा कतर गये एवं दिनांक–16.01.2021 को भारत वापस आये हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी आवेदन की प्रक्रिया या चयन की प्रक्रिया के समय कभी भी भारत में उपस्थित नहीं रहे है। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर सक्षमता की डिग्री फर्जी है। ऐसी स्थिति में नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु उनका चयन किया जाना त्रुटियुक्त है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी का यह दावा कि विज्ञापन की तिथि से चयन के समय तक विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद देश से बाहर रहे हैं, पूर्णतः गलत है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक–06.12.2018 को जो विज्ञापन निकला था, उसकी प्रक्रिया वर्ष–2016 से ही चल रही थी तथा दिनांक–30.11.2018 को सूचना निर्गत की जा चुकी थी। इस कारण विदेश जाने के पूर्व उनके द्वारा अपना आवेदन भरकर घर पर रख दिया गया था, जिसे उनके घर वाले द्वारा पोस्ट किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी की शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र आवेदक से ज्यादा है, इसलिए प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर विपक्षी का चयन नियमानुकूल है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि वादी एवं विपक्षी के उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नांकित हैः–

नाम	जन्म तिथि	मैट्रिक का प्राप्तांक / प्रतिशत	कम्प्यूटर योग्यता	उच्चतर शैक्षणिक योग्यता	प्रतिशत
मुकेश कुमार साह (वादी)	06.11.1993	269/53.8%	ADCA	स्नातक	66.63%
सुरेन्द्र प्रसाद (विपक्षी)	01.01.1981	405/50%	CFA	M.Sc.	52%

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आगे कहा गया कि वाद का मुख्य बिन्दु यह है कि वादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी दिनांक–04.12.2018 से दिनांक–16.01.2021 तक देश से बाहर रहे हैं

WEB COPY NOT OFFICIAL

तथा विज्ञापन की तिथि से लेकर चयन के समय तक कभी भी भारत में उपलब्ध नहीं रहे हैं। अभिलेख के अवलोकन में अपीलकर्त्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि विज्ञापन के प्रकाशन के बाद अपना आवेदन भरकर अपने परिवार वालों को देकर बाहर चले गए थे तथा परिवार के लोगों द्वारा उनका आवेदन केवल डिस्पैच किया गया है। इस क्रम में अंतिम वरीयता सूची के अवलोकन में विपक्षी, सुरेन्द्र प्रसाद के समक्ष कॉलम–18 में अंकित है कि **"आपत्ति निराकरण के समय आवेदक की पत्नी उपस्थित हुई। कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।"**

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना तथा वाद अभिलेख में पोषित कागजात एवं निम्न न्यायालीय अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद का मुख्य विषय–वस्तु यह है कि विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रश्नगत पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु स्वयं आवेदन नहीं किया गया है और न ही चयन की प्रक्रिया में वे शामिल रहें है। वे इस पूरी अवधि, दिनांक–04.12.2018 से दिनांक–16.01.2021 तक देश से बाहर रहे है, जबकि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर चयन हेतु दिनांक–07.12.2018 को PR No-12644/ समाहरणालय, 2018–19 द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि चयन की प्रक्रिया वर्ष–2016 से चल रहीं है और दिनांक–30.11.2018 को इस संबंध में सूचना का प्रकाशन किया गया है, सर्वथा मान्य नहीं है, क्योंकि जिला स्तरीय चयन समिति के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय ज्ञापांक–1087/आ०, दिनांक–30.11.2018 के द्वारा दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में दिनांक–07.12.2018 को विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है। इस क्रम में समाहरणालय, गोपालगंज द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–05 में अंकित है कि *"अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु आवेदन पत्र अनुमंडलवार दिनांक–07.12.2018 से 24.12.2018 तक कार्यालय अवधि में केवल निबंधित डाक द्वारा ही स्वीकार होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।"* इसके साथ ही कंडिका–06

WEB COPY NOT OFFICIAL

में अंकित है कि *"विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात वर्तमान विज्ञापन के आलोक में नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र नये सिरे से आवेदकों द्वारा भरा जाएगा। इस कार्यालय के पत्रांक–675 दिनांक–02.08.2017 द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के विरूद्व प्राप्त आवेदन पत्र को रद्द किया जाता है।"*

चूँकि विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद दिनांक–04.12.2018 को देश से बाहर जा चुके थे तो वैसी स्थिति में दिनांक–07.12.2018 को उनके द्वारा किस प्रकार आवेदन प्रस्तुत किया गया है यह उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नही किया जा सका है। अभिलेख पर उपलब्ध विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद के पासपोर्ट नं0–L1318707 दिनांक–21.03.2013 की छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी सुरेन्द्र प्रसाद, दिनांक–04.12.2018 से दिनांक–16.01.2021 तक देश से बाहर रहें है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिससे यह माना जाए कि विपक्षी चयन की प्रक्रिया के समय देश में उपस्थित रहें हों एवं चयन की प्रक्रिया में शामिल रहें हो। उक्त स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत रोस्टर बिन्दु पर नई पी०डी०एस० अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया से पूर्व ही विपक्षी, सुरेन्द्र प्रसाद विदेश जा चुके थे तथा विदेश में रहने के दौरान ही फर्जी तरीके से अपना चयन कराया गया है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला स्तरीय चयन समिति, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक–677/आ० दिनांक–31.08.2020 द्वारा विपक्षी, सुरेन्द्र प्रसाद, पिता–श्री परमानंद प्रसाद के चयन को त्रुटियुक्त पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है।

तदनुसार प्रस्तुत अपीलवाद को **स्वीकृत** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL